इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
एक नवरत्न कंपनी
ENGINEERS INDIA LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
A Navratna Company

पंजीकृत कार्यालयः इंजीनियर्स इंडिया भवन,1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066, भारत
Regd. Office: Engineers India Bhawan, 1, Bhikaiji Cama Place, New Delhi – 110066
ईमेल/e-mail: company.secretary@eil.co.in, दूरभाष / Phone: 011- 26763451
Website: http://engineersindia.com,CIN: L74899DL1965GOI004352
कंपनी सचिवालय/ COMPANY SECRETARIAT

61वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई–वोटिंग की जानकारी

राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित 20 अगस्त, 2026 की हमारी एजीएम संबंधी सूचना के आगे के संदर्भ में, इस संबंध में सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और उसके तहत निर्मित नियमों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("**एमसीए**") के सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22.09.2025 और एमसीए तथा सेबी द्वारा जारी अन्य परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में एजीएम सूचना दिनांक 21 अगस्त, 2026 में निर्धारित व्यवसाय का लेन–देन करने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ("**कंपनी**") के सदस्यों की 61वीं (इकसठवीं) वार्षिक आम बैठक ("**एजीएम**") एक कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("**वीसी**")/अन्य ऑडियो–विजुअल साधनों ("**ओएवीएम**") के माध्यम से **शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026 को 11.00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.)** आयोजित की जाएगी।

सदस्य www.evotingindia.com पर उपलब्ध वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए जाएंगे। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, अधिनियम की धारा 102 के प्रावधानों के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण के साथ 61वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025–26 की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट **शुक्रवार, 21 अगस्त 2026** तक इक्विटी शेयर धारण करने वाले उन सभी सदस्यों को **बुधवार, 26 अगस्त 2026** को ई–मेल के माध्यम से भेज दी गयी, जिनके ई–मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। इसके अलावा, सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, सटीक पाथ सहित वेब–लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र, जहां वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध है, उन सदस्यों को भेजा जा रहा है, जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है। वित्त वर्ष 2025–26 की एजीएम की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.engineersindia.com और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) (रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट, यानी www.evotingindia.com पर उपलब्ध है। सदस्य इसे स्टॉक एक्सचेंजों, यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देख सकते हैं, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं। वित्त वर्ष 2025–26 की एजीएम की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां उन सदस्यों को भेजी जाएंगी, जो इसके लिए अनुरोध करते हैं। एजीएम की सूचना में उल्लिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के लिए निर्देश:

कंपनी एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर अपना वोट देने के लिए कट–ऑफ तिथि यानी **शुक्रवार, 11 सितंबर 2026** को सीडीएसएल के माध्यम से इक्विटी शेयर धारण करने वाले अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। रिमोट ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

रिमोट ई–वोटिंग का प्रारंभ	**सोमवार, 14 सितंबर, 2026 को 9:00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.)**
रिमोट ई–वोटिंग का समापन	**गुरुवार, 17 सितंबर, 2026 को 5:00 बजे अप. (भा.मा.स.)**

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को समापन समय के बाद मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा और सदस्यों को उक्त तिथि और समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों के नाम कट–ऑफ तिथि यानी **शुक्रवार, 11 सितंबर 2026** तक सदस्य/लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि यानी **शुक्रवार, 11 सितंबर 2026** तक शेयर धारण करता है, ऐसा व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग, ई–वोटिंग और एजीएम में शामिल होने के उन्हीं निर्देशों का पालन करेगा जैसा कि सूचना में उल्लिखित है।

इस संबंध में किसी भी सहायता की आवश्यकता के लिए सदस्य आरटीए, यानी मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, 205–208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 को अनुरोध भेज सकते हैं या rta@alankit.com पर ई–मेल कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम में दुबारा अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

बोर्ड ने 21 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में अंतिम लाभांश ₹2.50/– प्रति शेयर की दर से सिफारिश की है। लाभांश, यदि घोषित किया जाता है, तो वार्षिक आम बैठक में घोषणा के 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम **गुरुवार, 24 सितंबर 2026** के व्यावसायिक घंटों के समापन पर कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं।

सदस्य ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 2025 के अनुसार, किसी कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश सदस्यों के हाथों में कर योग्य है। इसलिए, कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय स्रोतों पर कर ("**टीडीएस**") की कटौती करने की आवश्यकता होगी। कंपनी को लागू टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे **गुरुवार, 24 सितंबर 2026** तक कंपनी या आरटीए के पास company.secretary@eil.co.in या rta@alankit.com पर संबंधित दस्तावेज जमा करें।

यदि आपके पास एजीएम में भाग लेने और ई–वोटिंग प्रणाली से ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप www.evotingindia.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions ("**FAQs**") तथा e-voting manual का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई–मेल लिख सकते हैं। निवेशक 18002109911 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में उल्लिखित रिमोट ई–वोटिंग, एजीएम में ई–वोटिंग, एजीएम में शामिल होने के सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
(एस. के. पाढ़ी)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26.08.2026

---

pnb Housing Finance Limited
पंजी. कार्यालयः पूर्वी मंजिल, अस्थि भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन: 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट: www.pnbhousing.com
शाखा का पताः तृतीय तल, साईबर हाईट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ–उत्तर प्रदेश–226010

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन एक्ट 2002 नियम 8(1) के अनुपालन के तहत पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को एक डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें सूचना उल्लेखित बकाया राशि को, उक्त सूचना/प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने का कहा गया था। कर्जदार(रों) उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत कब्जा प्रत्येक खाते के सामने निम्नलिखित दिनांक को ले लिया है। कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार वास्ते ऋण समझौते के अनुसार राशि और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा। **कर्जदार(रों) का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।**

ऋण खाता नं.	कर्जदार(रों)/ सह–कर्जदार(रों)/ गारंटर का नाम	मांग सूचना की राशि	बकाया राशि	कब्जा सूचना की तिथि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
HOU/LUC/0322/974748 & HOU/LUC/0224/1217935 शाखाः लखनऊ	श्री/सुश्री दीपेश पाल (कर्जदार) और श्रीमती रानी देवी (सह–कर्जदार)	10-06-2026	रु. 32,92,986/– (रु. बत्तीस लाख बान्वे हजार नौ सौ छियासी मात्र) दिनांक 08.06.2026 तक	22-08-2026 (सांकेतिक)	प्लॉट नं. 124 और 125 पर निर्मित मकान, खसरा नं. 1240 का भाग, गाँव–हैदत मऊ, मवैया वार्ड इब्राहिम पुर तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ–226008

स्थानः लखनऊ, तिथिः 26.08.2026
प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड

EPACK DURABLE

पंजीकृत कार्यालयः 61–बी, उद्योग विहार, सूरजपुर, कासना रोड, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201306, **कॉर्पोरेट कार्यालयः** 7वीं मंजिल, रियाना ऑरेस, प्लॉट नंबर 51-52, सेक्टर-136, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश -201304, **सीआईएनः** L74999UP2019PLC116048, **फोन नंबरः** +91- 9217307031, **वेबसाइटः** www.epackdurable.com, **ईमेल आईडीः** info_ed@epack.in

ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड ("कंपनी") की 7वीं वार्षिक आम बैठक ("7वीं एजीएम") की सूचना और ई–वोटिंग की जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 1 अगस्त, 2026 की 7वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का लेनदेन करने के लिए ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड ("**कंपनी**") के सदस्यों की सातवीं वार्षिक आम बैठक ("**7वीं एजीएम**") **शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026 को 12.00 बजे अप. (भा.मा.स.)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो–विजुअल साधनों ("**वीसी/ओएवीएम**") के माध्यम से एक कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी। एजीएम का डीम्ड स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("**अधिनियम**") और उसके तहत निर्मित नियमों के लागू प्रावधानों, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("**एमसीए**") द्वारा जारी लागू परिपत्रों, जिसमें अन्य प्रासंगिक एमसीए परिपत्रों के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 शामिल है (सामूहिक रूप से "**एमसीए परिपत्र**" के रूप में संदर्भित) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2025 ("**सेबी सूचीबद्धता विनियम**") के अनुपालन में, वित्त वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 7वीं एजीएम की सूचना बुधवार, 26 अगस्त, 2026 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("**एनएसडीएल**")/सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("**सीडीएसएल**"), (सामूहिक रूप से "**डिपॉजिटरी**" संदर्भित) के साथ, या, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ("**आरटीए**") के साथ पंजीकृत हैं। सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, जिन सदस्यों के ईमेल पते पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें एक संचार भेजा गया है जिसमें वेब–लिंक और उक्त दस्तावेजों को एक्सेस करने का पाथ शामिल है। वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य investors.ed@epack.in पर लिखकर इसका अनुरोध कर सकते हैं।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108, समय–समय पर यथासंशोधित सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 44 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस–2) के अनुपालन में, कंपनी ने एनएसडीएल के माध्यम से रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान की है ताकि सदस्य 7वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। सदस्यों के पास या तो ई–वोटिंग अवधि के दौरान या एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करके किसी भी संकल्प पर अपना वोट डालने का विकल्प होगा।

रिमोट ई–वोटिंग विवरण:

ई–वोटिंग के लिए पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि	शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026
प्रारंभ होने की तिथि और समय	सोमवार, 14 सितंबर, 2026 9:00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.)
समाप्त होने की तिथि और समय	गुरुवार, 17 सितंबर, 2026, 5:00 बजे अप. (भा.मा.स.)

जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से एजीएम के दौरान अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दुबारा अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। गुरुवार, 17 सितंबर, 2026 को 5:00 बजे अप. (भा.मा.स.) के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

ए) सदस्य अपने रिमोट ई–वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके और "**वीडियो कॉन्फ्रेंस**" विकल्प का चयन करके www.evoting.nsdl.com पर वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं।

बी) जिन सदस्यों के नाम **शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026** ("**कट–ऑफ तिथि**") तक डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित सदस्यों के रजिस्टर या लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने या एजीएम में वोट करने के हकदार होंगे। कोई व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस संचार को केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए मानना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 7वीं एजीएम की सूचना भेजने के बाद लेकिन कट–ऑफ तिथि तक कंपनी का सदस्य बन गया है, वह 7वीं एजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

सी) जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे 7वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, डीमैटरियलाइज्ड धारिता के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, या भौतिक धारिता के मामले में कंपनी/आरटीए के साथ इसे पंजीकृत/अपडेट करें।

डी) सुश्री शिरीन भट्ट (एफसीएस सं.: 8273 और सीपी सं.: 9150), मेसर्स शिरीन भट्ट एंड एसोसिएट्स की प्रोपराइटर, कंपनी सचिव, फर्म पंजीकरण सं.: S2011DE162600 को रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया और एजीएम में ई–वोटिंग के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ई) ई–वोटिंग विवरण के लिए कृपया 7वीं एजीएम की सूचना देखें। ई–वोटिंग से संबंधित प्रश्नों के लिए, www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध FAQs तथा e-voting user manual देखें।

हेल्पलाइन विवरण :

हेतु	नाम	ईमेल पता	संपर्क नं.	पता
ई–वोटिंग	सुश्री पल्लवी म्हात्रे, उप उपाध्यक्ष	evoting@nsdl.com	022-4886 7000	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तीसरी मंजिल, नमन चैंबर, प्लॉट सी–32, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र–400051
एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन करें	-	evoting@nsdl.com		
सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन करें	-	helpdesk.evoting@cdslindia.com	1800 21 09911	-

वित्त वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.epackdurable.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, यानी www.bseindia.com और www.nseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
ईशा गुप्ता
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं.: ए23608

स्थानः नोएडा
दिनांकः अगस्त 26, 2026

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, बी–बिल्डिंग, गंगा टूको बिजनेस पार्क, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र – 411014.

परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें)
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जिसे इसके बाद उपरोक्त कॉर्पोरेट/पंजीकृत कार्यालय का मुशीत लेनदार कहा जाएगा। के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना निम्नवर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें निम्नवर्णित कर्जदारों से सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा कर्जदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग के अंतर्गत दिनांक 14.08.2026 को ले लिया है। कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि और उस पर ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण यहां नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कब्जा सूचना की तिथि	सांविधिक मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना में राशि (रु.)
1	कुदरत अली, यूसुफ यूसुफ, रिज़वाना रिजवाना	समस्त वह टुकड़ा एवं भाग जोकि एक आवासीय मकान, खसरा सं. 891 में, भूमि क्षेत्रफल 129.26 वर्ग मीटर, ग्राम जसर, सुल्तान नगर, परगना एवं तहसील सरधना, जिला मेरठ में स्थित सीमाएँ: पूर्व – 20 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम – विक्रेता का मकान, उत्तर – जसर पछली रोड, दक्षिण – शोकीन का मकान	21/08/2026	09/06/2026	ऋण सं. LAP060520000 0005024445, रु. 14,62,041/– (रुपये चौदह लाख बासठ हजार इकतालीस मात्र) दिनांक 09.06.2026 तक देय, साथ में वसूली तक 16.2प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज
2	पप्पन, कविता	समस्त वह टुकड़ा एवं भाग, 150 वर्ग गज अर्थात 125.46 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का भूखंड, खसरा/भूमि सं. 408 में से, ग्राम रौनीजा, परगना एवं तहसील खेवर, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित सीमाएँ: दान विलेख के अनुसार: पूर्व – 12 फीट चौड़ा रास्ता, तत्पश्चात इंसराज का प्लॉट। पश्चिम – इंसराज का प्लॉट। उत्तर – बल्ला का मकान। दक्षिण – वीरेंद्र का प्लॉट। माप क्षेत्रफल: 150 वर्ग गज अर्थात 125.46 वर्ग मीटर।	21/08/2026	09/06/2026	ऋण सं. LAP0659200000 0005027979, रु. 10,80,873/– (रुपये दस लाख अस्सी हजार आठ सौ तिहत्तर मात्र) दिनांक 09.06.2026 तक देय, साथ में वसूली तक 16. 2प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज
3	जय सिंह, ललित कुमार, सुशीला सुशीला	समस्त वह टुकड़ा एवं भाग, आवासीय फ्लैट, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज अर्थात 83. 61 वर्ग मीटर; कुल आच्छादित क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मीटर, खसरा सं. 398 में सम्मिलित, ग्राम कुलेसरा, परगना दादरी, तहसील एवं जिला गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में स्थित (जिसे आगे उक्त संपत्ति कहा गया है) सीमाएँ: पूर्व – भीमा सिंह का प्लॉट। पश्चिम – हरपाल सिंह का प्लॉट। उत्तर – अन्य का प्लॉट। दक्षिण – 12 फीट चौड़ी सड़क। माप क्षेत्रफल: कुल क्षेत्रफल 100 वर्ग गज	21/08/2026	09/06/2026	ऋण सं. LAP0659200000 005029902, रु. 17,47,822/– (रुपये सत्रह लाख सैंतालीस हजार आठ सौ बाईस मात्र) दिनांक 09.06.2026 तक देय, साथ में वसूली तक 15.2प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज।
4	सीताराम बैरवा, ममता देवी	समस्त वह टुकड़ा एवं भाग, तीसरी मंजिल का पिछला भाग, छत के अधिकार सहित, निर्मित संपत्ति सं. आरजेड–एफ–582, क्षेत्रफल 40 वर्ग गज, खसरा सं. 46/9/2 में से, ग्राम पालम के क्षेत्र तथा राज नगर–II, शास्त्री मार्ग, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली–110077 नामक कॉलोनी में स्थित, रिटेन्ट भूतल पर एक बाइक/दोपहिया वाहन पार्किंग सहित, उक्त संपत्ति में नीचे स्थित भूमि में अनुपातिक अविभाजित, अविभाज्य एवं अप्रतिहर्तनीय स्वामित्व अधिकार सहित, जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार हैं: पूर्व – प्लॉट सं. आरजेड–एफ–581–सी, पश्चिम – प्लॉट सं. आरजेड–एफ–582–ए, उत्तर – 8 फीट की गली, दक्षिण – 08 फीट सड़क/सामने की इकाई	22/08/2026	09/03/2026	ऋण सं. HL006492000000 05063898, रु 16,80,011/– (रुपये सोलह लाख अस्सी हजार ग्यारह मात्र) दिनांक 09.03.2026 तक देय, साथ में वसूली तक 15प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज

किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की सामग्री के बीच कोई अंतर है, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की सामग्री मान्य होगी।

स्थानः दिल्ली,
दिनांकः 27.08.2026

हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,
गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

UTL SOLAR
FUJIYAMA SOLAR

फुजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड

(पूर्व में फुजियामा पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड)
सीआईएनः L31909DL2017PLC326513
पंजीकृत कार्यालयः 53ए/6, एनडीपीएल ग्रिड ऑफिस के पास, मेट्रो स्टेशन के पास, इंडस्ट्रियल एरिया, सत गुरु राम सिंह मार्ग, दिल्ली, भारत –110015 **ईमेल आईडीः** investor@utlsolarfujiyama.com; **वेबसाइटः** www.utlsolarfujiyama.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से आयोजित की जाने वाली 09वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) की सूचना और ई-वोटिंग के बारे में जानकारी

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 09वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') एजीएम की सूचना ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट कामकाज को निष्पादित करने के लिए सदस्यों की किसी एक सामान्य स्थान पर शारीरिक उपस्थिति के बिना शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को शाम 4:30 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंस ('VC') / अन्य ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों ('OAVM') के ज़रिए आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बने नियमों, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के लागू प्रावधानों और साथ ही कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य परिपत्रों (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में निर्दिष्ट) और सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 और इस संबंध में पहले जारी परिपत्रों (सामूहिक रूप से "सेबी परिपत्र" के रूप में निर्दिष्ट) के लागू प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम नोटिस और वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट सिर्फ़ उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉज़िटरी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('RTA') के पास रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा, सूचीबद्धता विनियम के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, जिन सदस्यों ने कंपनी/डिपॉज़िटरी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('RTA') के पास अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर नहीं कराया है, उन्हें एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट को एक्सेस करने के लिए एक वेबलिंक वाला पत्र भेजा जाएगा।

सदस्य ध्यान दें कि एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.utlsolarfujiyama.com, पर, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर, और कंपनी के आरटीए यानी एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध होंगे। उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में, वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है। हालाँकि, जो सदस्य एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड प्रति चाहते हैं, वे कंपनी को investor@utlsolarfujiyama.com पर ईमेल भेजकर इसकी मांग कर सकते हैं। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के ज़रिए एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के ज़रिए एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम नोटिस में दिए जाएंगे। अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गिनती के लिए केवल वीसी/ओएवीएम के ज़रिए एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों को ही गिना जाएगा।

कंपनी सभी सदस्यों को एजीएम नोटिस में दिए गए सभी प्रस्तावों पर वोट देने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा देगी। इसके अलावा, कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम की सुविधा भी दे रही है। इसलिए, (क) रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग और (ख) वीसी/ओएवीएम के ज़रिए एजीएम में शामिल होने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम नोटिस में दी जाएगी। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता रजिस्टर/अपडेट करें और साथ ही, अगर उनके नाम, डाक पते, टेलीफ़ोन/मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, स्थायी खाता संख्या (PAN), नामांकन विवरण आदि में कोई परिवर्तन हो, तो अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इसकी जानकारी दें, यदि उनके द्वारा धारित शेयर डीमटेरियलाइज़्ड रूप में हैं।

सदस्यों से